राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रूपचन्द बनाम शारदा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 17/03/2026 को पेश हो।	
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 09/04/2026 को पेश हो |	
09/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 2 लगा. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 29/10/2013 पारित करते हुये दोनों पक्षों ने दौराने बहस मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर ..कासमा किये जाने की सहमति का अंकन करते हुये तहसीलदार जयपुर को मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/03/2015 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य किया गया विभाजन विधिसम्मत एवं बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स नही किया गया है, जबकि विधि के प्रावधानों के तहत सभी पक्षकारान/सहखातेदारान को समान रूप से अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर प्रश्नगत भूमि का विभाजन किया जाना आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना प्रकट होता है |	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रूपचन्द बनाम शारदा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	111/2015	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23/03/2015 ख़ारिज किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये बाद सुनवाई पक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 09/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |